



HARYANA VIDHAN SABHA

14th Legislative Assembly
Budget Session 2024

List Of Business

28 February 2024

11:00 AM

1. QUESTIONS.

(1) Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

2. MOTION UNDER RULE 15

(1)

A MINISTER	to move that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.
---------------	---

3. MOTION UNDER RULE 16.

(1)

A MINISTER	to move that the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.
------------	--

4. CALLING ATTENTION NOTICES.

(1)

Calling Attention Notice No.10,notice given by Shri Chiranjeev Rao, MLA	regarding Co-operative project scam
Calling Attention Notice No. 19,notice given byShri Abhay Singh Chautala, MLA,clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.
Calling Attention Notice No. 20,notice given by:- 1. Shri Bharat Bhushan Batra, MLA, 2. Shri Aftab Ahmed, MLA, 3. Shri Varun Chaudhary, MLA, 4. Rao Dhan Singh, MLA, 5. Shri Shamsher Singh Gogi, MLA.	Shri Bharat Bhushan Batra, MLA being first signatory may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.

clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	
Calling Attention Notice No. 34,notice given bySmt. Kiran Chaudhary, MLA,clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.
Calling Attention Notice No. 43,notice given byShri Neeraj Sharma, MLA,clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.

(i) Reply of Calling Attention Notices :-

Calling Attention Notice No.10,notice given by Shri Chiranjeev Rao, MLA	regarding Co-operative project scam
Calling Attention Notice No. 19,notice given byShri Abhay Singh Chautala, MLA,clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.
Calling Attention Notice No. 20,notice given by :-Shri Bharat Bhusan Batra, MLA, Shri Aftab Ahmed, MLA, Shri Varun Chaudhary, MLA, Rao Dhan Singh, MLA, Shri Shamsher Singh Gogi, MLA.clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	Shri Bharat Bhushan Batra, MLA being first signatory may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.
Calling Attention Notice No. 34,notice given bySmt. Kiran Chaudhary, MLA,clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.
Calling Attention Notice No. 43,notice given byShri Neeraj Sharma, MLA,clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.

5. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE THROUGH 'NeVA' PORTAL.

- (1)
- | | |
|------------|---|
| A MINISTER | to lay on the Table the 5th Annual Report of the Haryana Medical Services Corporation Limited for the year 2018-2019, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013. |
|------------|---|
- (2)
- | | |
|------------|---|
| A MINISTER | to lay on the Table the 6th Annual Report of the Haryana Medical Services Corporation Limited for the year 2019-2020, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013. |
|------------|---|
- (3)
- | | |
|------------|--|
| A MINISTER | to lay on the Table the Annual Report of Haryana Khadi & Village Industries Board for the year 2019-2020, as required under section 19A (3) of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971. |
|------------|--|
- (4)
- | | |
|------------|---|
| A MINISTER | to lay on the Table the Annual Statement of Accounts together with the Audit Report thereon of Gurugram Metropolitan Development Authority for the year 2017-2018, as required under section 39 (4) of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017. |
|------------|---|

(5)	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Statement of Accounts together with the Audit Report thereon of Gurugram Metropolitan Development Authority for the year 2018-2019, as required under section 39 (4) of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017.
-----	---------------	---

(6)	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Statement of Accounts together with the Audit Report thereon of Gurugram Metropolitan Development Authority for the year 2019-2020, as required under section 39 (4) of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017.
-----	---------------	---

(7)	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Statement of Accounts together with the Audit Report thereon of Gurugram Metropolitan Development Authority for the year 2020-2021, as required under section 39 (4) of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017.
-----	---------------	---

6. PRESENTATION OF REPORT OF THE ASSEMBLY COMMITTEES.

(1)	THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION	to present the Fifty-First Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2023-2024.
-----	--	---

(2)	THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS	to present the Eighty Ninth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2023-2024.
-----	--	--

(3)	THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS	to present the Ninetieth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2023-2024.
-----	--	---

(4)	THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS	to present the Seventieth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2023-2024.
-----	--	--

(5)	THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON PETITIONS	to present the Thirteenth Report of the Committee on Petitions for the year 2023-2024.
-----	--	--

(6)	THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS	to present the Nineteenth Report of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions for the year 2023-2024.
-----	---	---

(7)	THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND BACKWARD CLASSES	to present the Forty Seventh Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2023-2024.
-----	--	--

(8)	THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON ESTIMATES	to present the Fifty First Report of the Committee on Estimates for the year 2023-2024.
-----	---	---

(9)	THE CHAIRPERSON OF THE SUBJECT COMMITTEE ON EDUCATION, TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL EDUCATION, MEDICAL EDUCATION AND HEALTH SERVICES	to present the Nineth Report of the Subject Committee on Education, Technical Education, Vocational Education, Medical Education and Health Services for the year 2023-2024.
-----	---	--

(10)	THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES	to present the Fifty Third Report of the Committee on Government Assurance for the year 2023-2024.
------	---	--

7. LEGISLATIVE BUSINESS.

(1) (Bill to be introduction, consideration and passing)

(i)	The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2024	A MINISTER	to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill; to move that the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
-----	--	------------	---

(ii)	The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2024	A MINISTER	to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill; to move that the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
------	--	------------	---

(2) (Bills for consideration and passing)

(i)	The Haryana State Sports Associations (Registration and Regulation) Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana State Sports Associations (Registration and Regulation) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
-----	--	------------	--

(ii)	The Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Amendment Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Amendment Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
------	---	------------	---

(iii)	The Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
-------	---	------------	---

(iv)	The Hisar Metropolitan Development Authority Bill, 2024	A MINISTER	to move that the The Hisar Metropolitan Development Authority Bill be taken into consideration at once;Also to move that the Bill be passed.
------	---	---------------	--

(v)	The Haryana Registration and Regulation of Private Coaching Institute Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Registration and Regulation of Private Coaching Institute Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
-----	--	---------------	---

(vi)	The Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions), Amendment Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions), Amendment Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
------	--	---------------	---

(vii)	The Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
-------	---	---------------	--

Chandigarh-160001
Date:27/Feb/2024

Rajender Kumar Nandal
Secretary
HARYANA VIDHAN SABHA



हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

बजट सत्र 2024

कार्य सूची

28 फ़रवरी 2024

1. प्रश्न।

(1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

2. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

(1)

एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मर्दों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।
-----------	---

3. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

(1)

एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।
-----------	--

4. ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

(1)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-10 जिसकी सूचना श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।	सहकारी परियोजना घोटाले से संबंधित।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-19 श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-20 जिसकी सूचना- (i) श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.; (ii) श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.; (iii) श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.; (iv) राव दान सिंह, एम.एल.ए.; (v) श्री शमशेर सिंह गोगी, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए. भी प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-34 श्री किरण चौधरी, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-43 श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

(i) ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर :-

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-10 जिसकी सूचना श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।	सहकारी परियोजना घोटाले से संबंधित।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-19 श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-20 जिसकी सूचना- (i) श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.; (ii) श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.; (iii) श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.; (iv) राव दान सिंह, एम.एल.ए.; (v) श्री शमशेर सिंह गोगी, एम.एल.ए.;द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए., भी प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-34 श्री किरण चौधरी, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-43 श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

5. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज पत्र।

- (1)

एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2018-2019 के लिए हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड की 5 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
-----------	--
- (2)

एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड की 6 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
-----------	--
- (3)

एक मंत्री	नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
-----------	--
- (4)

एक मंत्री	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा-39 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017-2018 के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के लेखों के वार्षिक विवरण के साथ उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मेज पर रखेंगे।
-----------	--
- (5)

एक	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा-39(4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-2019 के लिए
----	--

मंत्री	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के लेखों के वार्षिक विवरण के साथ उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मेज पर रखेंगे।
--------	--

(6)	एक मंत्री	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा-39(4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के लेखों के वार्षिक विवरण के साथ उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मेज पर रखेंगे।
-----	-----------	---

(7)	एक मंत्री	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा-39(4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-2021 के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के लेखों के वार्षिक विवरण के साथ उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मेज पर रखेंगे।
-----	-----------	---

6. नेवा पोर्टल के माध्यम से विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना |

(1)	अधीनस्थ विधान समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 51 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
-----	----------------------------------	--

(2)	लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए लोक लेखा समिति की 89 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
-----	-----------------------------	---

(3)	लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए लोक लेखा समिति की 90 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
-----	-----------------------------	---

(4)	लोक उपक्रमों संबंधी समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 70 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
-----	--	--

(5)	याचिका समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए याचिका समिति की 13 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
-----	---------------------------	---

(6)	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों समिति की 19 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
-----	--	---

(7)	अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण पर समिति की 47 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
-----	--	--

(8)	प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए प्राक्कलन समिति की 51 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
-----	------------------------------	--

(9)	शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति की 9 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
-----	---	---

(10)

सरकारी आशवासनों के बारे में समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए सरकारी आशवासनों के बारे में समिति की 53 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
--	--

7. विधान कार्य।

(1) (प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाले विधेयक)

(i)

1. हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2024.	एक मंत्री	हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
---	-----------	---

(ii)

2. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2024.	एक मंत्री	हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
---	-----------	---

(2) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

(i)

हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक, 2024.	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
--	-----------	--

(ii)

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2024.	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
--	-----------	--

(iii)

हरियाणा ट्रेवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ट्रेवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
---	-----------	--

(iv)

हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
---	-----------	--

(v)

हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
--	-----------	---

(vi)

हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024.	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
---	-----------	--

(vii)

हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
---	-----------	---

Chandigarh-160001
दिनांक: २७ फरवरी २०२४

राजेन्द्र कुमार नांदल
सचिव
हरियाणा विधान सभा